[भारत के राजपत्र असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.

01/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी, 2017

सा.का.नि. (अ),- जहां तक कि, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतत् पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क (जिसमें कि इसका न लगाया जाना भी शामिल है) को लगाए जाने के सामान्यत: जो प्रथा प्रचलन में थी उसके अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1302 के अंतर्गत आने वाले साधारण (अन-मॉडीफाइड) इमली की गिरी के पाउडर (एतत् पश्चात् जिसे उक्त वस्तु से संदर्भित किया गया है) पर उक्त प्रथा के चलते 19 जुलाई, 2011 से प्रारम्भ होने वाली और 18 जुलाई, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त शुल्क नहीं लगाया जा रहा था;

2. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11ग में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा निर्देश देती है कि उक्त वस्तुओं पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत् जो उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना था, लेकिन उक्त प्रथा के चलते नहीं किया गया है, का अब उक्त वस्तु पर उक्त अवधि के संदर्भ में करने की जरूरत नहीं है।

[फा.सं. 116/17/2016-सीएक्स-3]

(रोहन)

अवर सचिव, भारत सरकार